

उत्तराखण्ड शासन  
शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)  
संख्या-1333/XXIV(1)/2010-45/2008T.C.I  
देहरादून: दिनांक: 07/ अप्रैल, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35 वर्ष, 2009) की धारा 2 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे अभिभावकों/माता-पिता जिनकी वार्षिक आय रू० 55000/- या उससे कम है, के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

संख्या-1333/XXIV(1)/2010-45/2008T.C.I./तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

संख्या-1333/XXIV(1)/2010-45/2008T.C.I./तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)  
उप सचिव।